केरल का नाम परविर्तति कर "केरलम" करने की मांग

[स्रोत:इंडयिन एक्सप्रेस]

हाल ही में **केरल वधिानसभा** ने सर्वसम्मतसि एक प्रस्ताव पारति कर केंद्र से संवधिान में राज्य का नाम बदलकर "**केरलम**" करने को कहा।

- भारतीय संवधिान का **अनुच्छेद 3** केंद्र को मौजूदा राज्यों के नाम बदलने का अधकिार देता है, जसिके लयि संवधिान के **अनुच्छेद 1** के तहत सूचीबद्ध राज्य के नाम में भी संशोधन की आवश्यकता होती है।
- **केरल** मलयाली केरलम के लयि अंग्रेजी शब्द है और इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 257 ईसा पूर्व के **समराट अशोक के शलिालेख II** में पाया जा सकता है जसिमें **"केरलपुत्र"** का उल्लेख है।
    - संस्कृत में केरलपुत्र का शाब्दकि अर्थ है **"केरल का पुत्र"**, जो चेरों के राजवंश को संदर्भति करता है, जो दक्षणि भारत के तीन मुख्य साम्राज्यों में से एक था (अन्य दो राजवंश **चोल और पांड्य** थे)।
- मलयालम भाषी राज्य की मांग पहली बार 1920 के दशक में उठाई गई थी और 1949 में स्वतंत्रता के बाद **त्रावणकोर और कोचीन की दो मलयालम भाषी रयिासतों को एकीकृत करके त्रावणकोर-कोचीन राज्य का गठन कयिा गया।**
- राज्य पुनर्गठन आयोग की सफिारशि के आधार पर अंततः भाषाई आधार पर केरल राज्य का नरि्माण कयिा गया।

और पढ़ें: राज्य का दर्जा की मांग

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/kerala-seeks-renaming-to-keralam-